न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा .....मु.नं. .....29.....वर्ष.....2022.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। नोटिस गवाहान एवं गवाहान रक्षा को बार-बार आवश्यक दिलवाई गई लेकिन वापसालम अमल तक हाजिर नहीं आये। अतः वाद गवाहान अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल अभिलेख हो। निर्णय आज दिनांक 10/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जावे।	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner